

न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज0)

पीठासीन अधिकारी :- श्री गजेन्द्र सिंह (आर.टी.एस)

मुकदमा नम्बर:- 96/2023-2024

निर्णय दिनांक :-24.02.2023

सरकार बनाम श्रीमती मनोज कुमारी पत्नी नेतराम सजना देवी पत्नी श्रीचन्द नेतराम श्रीचन्द रामसिंह पुत्रगण शिंभुराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी

अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक :-24.02.2023

निर्णय

पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थीगण/अतिक्रमीगण अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी पटवार हल्का पौसाना एवं भू.अ. निरीक्षक रघुनाथपुरा द्वारा रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई है कि पटवार हल्का पौसाना के ग्राम बासड़ी में स्थित भूमि ख.न. 19 कुल रकबा 5.55 है0 किस्म बीहड़ में से 5.00 है0 सरकारी भूमि पर अप्रार्थीगण/अतिक्रमीगण श्रीमती मनोज कुमारी पत्नी नेतराम सजना देवी पत्नी श्रीचन्द नेतराम श्रीचन्द रामसिंह पुत्रगण शिंभुराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी ने अनाधिकृत रूप से तारामीरा फसल काशत कर अतिक्रमण कर रखा है। प्रकरण राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण/अतिक्रमियों को नोटिस जारी किये गये। एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को अवैध फसल तारामीरा को कुर्क कर निलाम करने हेतु आदेश जारी किये गये। अप्रार्थीगण/अतिक्रमीगण द्वारा दिनांक 06.01.2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर जवाब नोटिस पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। जवाब नोटिस निम्न प्रकार से है:- यह प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि पर नया अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त भूमि प्रार्थी के खातेदारी काशत भूमि से सटाकर है तथा उक्त भूमि पर काफी मेहनत करके काशत योग्य बनाया है तथा उक्त भूमि पर प्रार्थी काफी समय से ही काशत कर रहे है।



पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा कोई ठोस साक्ष्य सबूत पेश नहीं किया गया। अतः अप्रार्थीगण को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत राजकीय भूमि पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण करने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भैतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

आदेश

पटवार हल्का पौरसाना को ग्राम बासड़ी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 19 कुल रकबा 5.50 है० किरम बीहड़ में से 5.00 है० भूमि पर अप्रार्थीगण/अतिक्रमीगण श्रीमती मनोज कुमारी पत्नी नेतराम सजना देवी पत्नी श्रीचन्द नेतराम श्रीचन्द रामसिंह पुत्रगण शिंभुराम जाति जाट निवासी इन्द्रपुरा तहसील उदयपुरवाटी को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक शहर लगान 6.20/- रुपये का 50 गुणा यानी कुल 310/- रुपये (अक्षरे तीन सौ दस रुपये) बतौर जुर्माना अप्रार्थीगण/अतिक्रमीगण पर आरोपित किया जाता है। एवं फसल निलामी राशि 1500/- रुपये राजकोष में जमा करवाने एवं निर्णयानुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखाकार एवं भू०अ० निरीक्षक को लिखा जावे। भू०अ० निरीक्षक रघुनाथपुरा को आदेशित किया जाता है अप्रार्थी को उक्त भूमि में से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली इस न्यायालय में पेश करें।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 24.02.2023 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार उदयपुरवाटी

जस्टिस अ. व. 2022-23

27

रुपये 310/-

कायमी की राशि

राजस्थान सरकार